न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 143 सन 2019

अनवान :–

1. जयसिह पुत्र स्व रामुराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर।

बनाम

1. हरिसिह पुत्र रामूराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. बनवारी पुत्र रामूराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर
3. बृजलाल पुत्र रामूराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर
4. बीरसिह पुत्र रामूराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर
5. सन्तो पत्नि रामूराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर
6. कमला पत्नि ख्यालीराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर
7. खिराज 8 छबीलाराम 9 किशोर पि0 ख्यालीराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. सुमन पुत्री ख्यालीराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर
11 कृष्णा 12 सुमित्रा 13 गीता 14 सतपाल पुत्र/पुत्रिया चन्द्रावती पुत्री रामूराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर
15. रोशनी 16 सरोज 17 सुभाष पुत्र/पुत्रीयान स्व रामूराम जाति मेधवंशी निवासी नहराना तहसील नोहर
18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 97/1 की 2.2760हैक खसरा न0 261/2 की 3.9830हैक कुल 14.225हैक भूमि वादी के पिता नत्थुराम खातेदार काश्तकार थे वादी के पिता नत्थुराम का देहान्त हो चुका है जिसके लउका रामुराम का एक लडका ख्यालीराम व दो लडकी चन्द्रावली व बरजा फोत हो चुकी है जिनके जायज वारिसान वादी एवं पतिवादी संख्या 1 ता 17 है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ,10 ,11 ता 17 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 9 के परिवार के सदस्य हे ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 9 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के पिता रामुराम के नाम से दर्ज थी वादी के पिता रामुराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज

वारिसान में से एक लडके ख्यालीराम व दो लडकीया चन्द्रावली व बरजा का देहान्त हे इसप्रकार रामुराम के जाजय वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है तथा प्रतिवादी 5 ता 6 ,10 ,11 ता 17 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवा संख्या 1 ता 4 ,7 ता 9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के पिता रामूराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है रामुराम के वारिसान में से रामुराम का एक पुत्र ख्यालीराम एवं दो लडकीया चन्द्रावती व बरजा का देहान्त हो गया है इसलिये रामुराम व ख्यालीराम व चन्द्रावली बरजा के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जायज वारिसान है तथा वादी का कथन हे कि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 10 ,11 ता 17 ने अपने हकों को त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 7 ता 9 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,10 ,11 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनों के समर्थन में इकबाला दावा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,10 ,11 ता 17 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 88/85 की कुल 14.2250हैक भूमि में वादी अकेला 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy Not Official